



साम्प्रदायिक तनाव और आतंकी हमले की साजिश का पुलिस ने किया भांडाफोड़

श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक महोदय, मेरठ जोन, पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर के नेतृत्व में जनपद मुजफ्फरनगर में काँवड यात्रा को सुरक्षित सुगम और सकुशल सम्पन्न करवाने के लिए मुजफ्फरनगर पुलिस लगातार प्रयासरत है। मुजफ्फरनगर संवेदनशील जनपद है। आसूचना के आधार पर सुरक्षा के दृष्टिगत एटीएस एवं आरएफ की तैनाती भी की गयी है। सुरक्षा के दृष्टिगत सोशल मीडिया पर सतर्क दृष्टि रखी जा रही है एवं आसूचना एकत्रित की जा रही है और आसूचना के आधार पर त्वरित विधिक कार्यवाही की जा रही है।

इसी क्रम में थाना ककरौली पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम ककरौली के कुछ व्यक्ति **ककरौली युवा एकता व्हाटसएप ग्रुप** पर एक लोमहर्षक, खतरनाक एवं सनसनीखेज, वीडियो और आडियो वायरल कर रहे हैं, जिसमें एक घर में महिला, छोटे-छोटे बच्चों की लाश खून में लथपथ पड़ी हुई है। साथ ही एक आडियो डाली जा रही है जिसमें यह कहा जा रहा है कि यह वीडियो जनपद मुरादाबाद के ग्राम मंसूरपुर थारक नंगला के पास की है, जहाँ बजरंग दल के कुछ लोग मुस्लिम घरों में घुसकर लोगों को काट रहे हैं, उनकी हत्या कर रहे हैं, किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, छोटे हो बड़े हों, महिला हो, बच्चे हों, उस आडियो में यह भी बोला जा रहा है कि इस प्रकार कई गाँव में मुस्लिमानों की हत्या की जा रही है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर वायरल करने की अपील की जा रही है।

इसका संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना ककरौली पुलिस की एक टीम गठित की गयी और अफवाह फैलाकर जनपद, राज्य व देश में साम्प्रदायिक नफरत व हिंसा करवाने की घोर आपराधिक योजना बनाने के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी की गयी। खतरनाक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए एवं देश में पूर्वनियोजित साम्प्रदायिक हिंसा व अशांति फैलाने के लिए साजिश की जा रही थी, जिससे अराजकता का माहौल हो सकता था जिसपर तत्काल कार्यवाही करते हुए ग्रुप में भ्रामक आडियो वीडियो डालने वाले एवं उसके साथियों को तत्काल **थाना ककरौली द्वारा गिरफ्तार किया गया**। उनके पास 3 अदद मोबाईल फोन की बरामदगी की गयी। इस सम्बन्ध में थाना ककरौली पर मुकदमा अपराध संख्या 111 /2025 अन्तर्गत धारा 55/ 61(2)/ 103(2)/ 113(3)/ 147/ 152/ 196/ 197/ 299/ 351(3)/ 353(2) बीएनएस व 13 UAPA Act 1967 व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

इस सम्बन्ध में अभियुक्तगण नदीम, मनशेर, रहीस से विस्तृत पूछताछ करने एवं साक्ष्यों के विश्लेषण से यह तथ्य प्रकाश में आये है कि प्रथम दृष्टया यह **वायरल वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ जनपद की अप्रैल 2024 की घटना है**, जहाँ एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी व अपने 7 बच्चों की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी थी। इस वीडियो को सोची समझी साजिश के तहत घटना को जनपद मुरादाबाद का दर्शाते हुए विशेष सम्प्रदाय के लोगों को उकसाकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में साम्प्रदायिक दंगे भडकाने एवं आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देने का था। साजिश के तहत सावन के महीने का दूसरा सोमवार का समय चुना गया क्योंकि इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश में काँवड यात्रा चल रही है। इरादा यह था कि लोगों में साम्प्रदायिक नफरत फैलाई जाये जिससे लोग उग्रवाद और आतंकवाद की विचारधारा के प्रति आकर्षित हो और भोले भाले लोगों को उकसाकर सामाजिक सौहार्द बिगाड़ा जा सके, राष्ट्र के प्रति असंतोष पैदा किया जा सके तथा किसी बड़ी हिंसक/ आतंकी घटना को अंजाम दिया जा सके। इनका इरादा **लोगों को भडकाकर आतंकवादी LONE WOLF अटैक को अंजाम देना भी था**।

योजनाबद्ध तरीक से साजिश के तहत यह वीडियो/ आडियो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में विशेष सम्प्रदाय के लोगों के लगभग कई व्हाटसएप ग्रुपों में इसे वायरल किया गया है, इस साजिश में शामिल इनके गिरोह के अन्य साथियों के नाम भी प्रकाश में आये हैं। इनके पास से बरामद मोबाईल फोन का विस्तृत तकनीकी फॉरेंसिक मुल्यांकन किया जायेगा, आडियो का **VOICE ANALYSIS** किया जायेगा और साक्ष्यों के आधार पर इस साजिश में **FORWARD and BACKWARD LINKAGES** में संलिप्त सभी व्यक्तियों की जानकारी कर उनके विरुद्ध कठोर विधिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी। अभी तक के उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह एक बहुत बड़ी आपराधिक साजिश थी, जिसमें कुछ असामाजिक तत्व, राष्ट्र विरोधी संगठन, आतंकी संगठन, एवं पाकिस्तानी एजेंसीयों की संलिप्तता से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। पुलिस की त्वरित कार्यवाही से एक बहुत बड़ी राष्ट्र विरोधी साजिश विफल हुई है।

मुजफ्फरनगर पुलिस की सभी प्रदेशवासियों से मीडिया के माध्यम से यह अपील है कि दुष्प्रेरणा से सोशल मीडिया पर वायरल की जा रही आडिया वीडियो पर ध्यान न दें किसी भी इस प्रकार की नफरत फैलाने वाली, उकसाने वाली आडियो/ वीडियो को पुलिस के संज्ञान में लायें और बिना उसकी आधिकारिक पुष्टि हुए इसे आगे किसी को न भेजें। ऐसा करना एक दण्डनीय अपराध है, जिसके विरुद्ध पुलिस द्वारा सख्त विधिक कार्यवाही की जायेगी।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण

1. नदीम पुत्र सगीर निवासी ककरौली थाना ककरौली मुजफ्फरनगर, उम्र 25 वर्ष, शिक्षा कक्षा 5, व्यवसाय- मजदूरी/ सब्जी विक्रेता
2. मनशेर पुत्र शफीक निवासी ककरौली थाना ककरौली मुजफ्फरनगर, उम्र 45 वर्ष, शिक्षा कक्षा 6, व्यवसाय- कबाड़ी
3. रहीम पुत्र सगीर उर्फ फुरकान निवासी ककरौली थाना ककरौली मुजफ्फरनगर, उम्र 35 वर्ष, शिक्षा कक्षा 5, व्यवसाय- कपड़े/ बर्तन की फेरी

बरामदगी का विवरण

1. तीन अदद मोबाईल फोन

पंजीकृत अभियोग का विवरण

1. मुकदमा अपराध संख्या 111/2025 अन्तर्गत धारा 55/ 61(2)/ 103(2)/ 113(3)/ 147/ 152/ 196/ 197/ 299/ 351(3)/ 353(2) बीएनएस व 13 UAPA Act 1967 व 67 आईटी एक्ट, थाना ककरौली जनपद मुजफ्फरनगर

व्हाट्सएप ग्रुपों का विवरण

1. KHIDMAT ABBASI GROUP (जनपद मेरठ)- लगभग 450 मेम्बर
2. PROUD INDIAN MUSLIM (जनपद मुरादाबाद)- लगभग 450 मेम्बर
3. MUSLIM SAMAJ ZINDABAD (जनपद मुजफ्फरनगर)- लगभग 150 मेम्बर
4. ALL INDIA EMPLOYER GROUP – लगभग 850 मेम्बर
5. KAKRAULLI YUVA EKTA- (जनपद मुजफ्फरनगर) लगभग 150 मेम्बर

इससे अतिरिक्त विभिन्न राज्यों एवं जनपदों के अन्य व्हाट्सएप ग्रुपों की पुष्टि कर विस्तृत जानकारी की जा रही है।

दिनांक 21-07-2025